

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

रीडर/2026/866

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 25.02.26

वीरमाराम पुत्र गोरधनराम
जाति जाट निवासी मुरटाला
गाला तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 रावताराम पुत्र कुशलाराम 2 धुड़ी देवी पत्नी खेराजराम 3
हनुमानराम पुत्र खेराजराम 4 भेराराम पुत्र गोरधनराम 5 सोनाराम
पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी मुरटाला गाला 6 कुम्पसिंह पुत्र
खेतसिंह 7 कमलसिंह 8 खुमाणसिंह पिसरान भूरसिंह 9 गुलावसिंह
पुत्र दुर्जनसिंह 10 जाम कंवर पत्नी खेतसिंह 11 नरपतसिंह पुत्र
दुर्जनसिंह 12 बाबुसिंह पुत्र भूरसिंह 13 मंजू कंवर पत्नी कमलसिंह
14 मूलसिंह पुत्र भूरसिंह 15 मोहनसिंह पुत्र खेतसिंह 16 सायर
कंवर पत्नी मूलसिंह महाबार पीथल 17 दमी कंवर पत्नी दुर्जनसिंह
18 नरपतसिंह 19 बलवन्तसिंह 20 मगसिंह 21 हेमसिंह पिसरान
भेरसिंह 22 कमलसिंह पुत्र आमसिंह 23 गुड्डी कंवर पुत्री दुर्जनसिंह
24 नेतल कंवर पुत्री दुर्जनसिंह 25 प्रेम कंवर पुत्री दुर्जनसिंह 26
भाखरसिंह पुत्र गुमानसिंह 27 मीना कंवर पत्नी धर्मसिंह 28
रेंवतसिंह पुत्र धर्मसिंह 29 सरूपसिंह पुत्र गुमानसिंह 30 बिलू कंवर
पत्नी गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी मुरटाला गाला तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :-888/2025

दिनांक-13/02/2026

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मुरटाला गाला पटवार हल्का महाबार तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 2572/1901 रकबा 2.6225 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2592/2573 रकबा 2.9299 हैक्टेयर, खसरा
संख्या 2577/734 रकबा 0.0323 हैक्टेयर, खसरा संख्या 779 रकबा 11.5416 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक
तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी
निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क
रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी

बाड़मेर

दिनांक- 25.02.26

क्रमांक :- रीडर/2026/867 - 870

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी वीरमाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी मुरटाला गाला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण रावताराम पुत्र कुशलाराम जाति जाति जाट निवासी मुरटाला गाला तहसील व जिला
बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर
बाड़मेर